

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905
No. 137] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1983

सा. का. नि. 326(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खंड 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रतिक्रिया संस्थान में कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए उर्वरक निरीक्षकों के रूप में तुरन्त नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- (1) डा. एम.आर. मोतसारा, निदेशक;
- (2) डा. एन त्रिपाठी, ज्येष्ठ विश्लेषक;

- (3) डा. जोगिन्दर सिंह, विश्लेषक;
- (4) डा. जी. चक्रवर्ती, सहायक रसायनज्ञ;
- (5) श्री के.पी.एस. वर्मा, सहायक रसायनज्ञ;
- (6) श्री आर.पी. वर्मा, सहायक रसायनज्ञ;
- (7) श्री पी.डी. शुक्ला, उर्वरक निरीक्षक;
- (8) श्री ए.के. सिंह, उर्वरक निरीक्षक; और
- (9) श्री के.के. श्रींगरा, उर्वरक निरीक्षक ।

2. ऊपर वर्णित अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग सम्पूर्ण भारत में करेंगे ।

[सं. 13-2/82-एस. टी. यू.]
एम.एस. चाहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1983

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by clause 19 of the Fertiliser (Control) Order, 1957, the Central Government hereby appoints with immediate effect the following officers working in the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad, Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture and Cooperation) to be Inspectors of fertilisers for the purpose of the said Order, namely :—

- (1) Dr. M. R. Motsara, Director ;
- (2) Dr. N. Tripathi, Senior Analyst ;
- (3) Dr. Joginder Singh, Analyst ;
- (4) (Dr. G. Chakraborty, Assistant Chemist ;
- (5) Shri K. P. S. Verma, Assistant Chemist ;
- (6) Shri R. P. Verma, Assistant Chemist ;
- (7) Shri P. D. Shukla, Fertiliser Inspector ;
- (8) Shri A. K. Singh, Fertiliser Inspector ; and
- (9) Shri K. K. Dhingra, Fertiliser Inspector.

2. The aforementioned Officers shall exercise their jurisdiction throughout India.

[No. 13—2/82-STU]
M. S. CHAHAL, Jt. Secy.